इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2020—फाल्गुन 2, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 10 फरवरी 2020

क्र.-40-डूडा-2020.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)क के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शिवपुरी जिले की खनियाधाना ब्लाक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगर परिषद खनियाधाना, जिला शिवपुरी की सीमा-वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला-शिवपुरी को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी जिस पर धारा 5(2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची क्रमांक—एक

खनियाधाना नगर परिषद की वर्तमान सीमा

उत्तर- आराजी क्रमांक 315 मार्डन पव्लिक स्कूल से प्रारम्भ होकर पिछोर पेट्रोल पंप होते हुये चेतनवाग मारवगीचा मंदिर से रामसेवक झा के मकान व्या पेट्रोल पंप उत्तर दिशा की ओर बढते हुये आराजी क्रमांक 2201 हजारी लाल की भूमि तक।

पूर्व- आराजी क्रमांक 2201 हजारी लाल भूमि से प्रारंभ होकर बढते हुये नीम तलैया राजवाडा की ओर मुक्ति धाम कन्या हाई सेकण्ड्री स्कूल अराजी क्रमांक 2859 शासकीय भूमि होते हुये आराजी क्रमांक 2760 व़िनिया कोली की भूमि तक।

दक्षिण- आराजी क्रमांक 2760 विनिया कोली की भूमि से कुण्डेश्वर मंदिर होते हुये गायत्री मंदिर का घेराव न्यायालय भवन हेतु हुये गायत्री मंदिर का घेराव नगर परिषद कार्यालय राजघाट कालोनी होते हुये रजिस्टार कार्यालय लेते हुये धुविया तालाव आदिवासी मोहल्ला आगे आराजी क्रमांक 01 तक।

पश्चिम- आराजी क्रमांक 01 से प्रारंभ होकर आदिवासी मोहल्ला हेमंत डां. से अखिलेश रावत का मकान लेते हुये बी.एस.एन.एल. टावर कब्रस्तान रोड बस स्टेण्ड थाने के पीछे सिंघई की दुकान से पेट्रोल पंप होते हुये उत्तर दिशा की ओर बढते हुये आराजी क्रमांक 315 मार्डन पव्लिक स्कूल तक।

अनुसूची क्रमांक - दो

नगर परिषद खनियाधाना में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की प्रस्तावित भूमि निम्नानुसार है

तहसील / जिला	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम का नाम)	घोषित क्षेत्र (है.)	चतुर सीमा	पटवारी हल्का नं
१	२	३	४	५	६
खनियांधाना शिवपुरी	पोठियाई	1. पोठियाई एवं वसाई	145.17	संपूर्ण	27
खनियांधाना शिवपुरी	पनिहारा	2. जालमपुर (रामनगर, शिवनगर)	262.34	संपूर्ण	19
खनियांधाना शिवपुरी	मुडिया	3. खिरिया	170.63	संपूर्ण	26

अनुसूची क्रमांक - तीन

<u>अनुसूची क्रमांक 2 की सीमाएं नगर परिषद खनियाधाना में सम्मिलित होने पर नगर परिषद खनियांधाना की संशोधित सीमा-</u>

उत्तर-

पिछोर तिराहा प्याउ से आगे कृषि उपजमंडी की संपूर्ण आवादी लेते हुये संपूर्ण पोंठयाई ग्राम की चारो ओर की आवादी लेते हुये डां लिटौरिया के मकान से आगे रपटा से उपर की ओर आंगनवाडी भवन से गौशाला की ओर रामसेवक प्रजापति का मकान लेते हुये मजरा बसाई की संपूर्ण आवादी एवं गौशाला मार्डन स्कूल तक।

पूर्व-

गौशाला मार्डन स्कूल से हल्के प्रजापति का मकान होते हुये कब्रस्तान से नई वस्ती बी.एस.एन.एल. टावर से लेते हुये धुविया तालाव होते हुये सीतापाठा मंदिर से पीछे की ओर मलखानी मंदिर ग्राम जालमपुर तक।

दक्षिण-

मलखानी मंदिर ग्राम जालमपुर से पनिहारा तिराहा से आगे चाड माता मंदिर पुलिया तक रामनगर एवं शिवनगर ग्राम की संपूर्ण आवादी ।

पश्चिम-

रामनगर एवं शिवनगर ग्राम से नीम तलैया लेते हुये खिरिया ग्राम की संपूर्ण आवादी कुदराहट नदी तक एवं कुदराहट नदी से व्या पेट्रोल पम्प होते हुये मारवगीचा मंदिर से चेतनवाग से आगे लच्छू कोली के मकान से आगे विधुत मण्डल की समस्त आवादी लेते हुये ग्राम पोठियाई मंदिर तक एवं मंदिर से पिछोर तिराहा प्याउ तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रहा. पी, कलेक्टर.

Shivpuri, 10th February 2020

Notification No. 40-DUDA-2020.—In exercise of powers conferred for Section 5(1) (ka) of Madhya Pradesh Municipalites Act, 1961 (No. 37 of 1961) the hereby singify their intention of the limit of nagar parisad khaniyadhana distt. Shivpuri include the village area which is defined in schedule as below. Any authority are inhabitant of the scheduled area may submit his objection or suggestion in wrinting to Collector Shivpuri within 30 days from the date of primary publication for this Notification for the consider as per rule. And authority take such objection or suggestion in to consideration:—

Schedule 1

Territorial limit of Municipal council khaniyadhana at present as below.

North- Starting from Araji no. 315 Mordan Public School and moving backward petrol pump from Chatenbag Marbagicha temple to Ramsevak Jha's house Vya petrol pump moving towards north direction to Araji no. 2201 Lands of Hajarilal.

East- Starting from Araji number 2201 Land Hajarilal and proceeding towards Neem Talaiya, Rajwada, Mukti Dham Kanya High Secondary School Araji number 2859 while passing government land up to Araji number 2760 Lands of viniya koli.

South- Araji no. 2760 Enclosure of Gayatri temple from the land of Vinia Koli via the Kundayeshwar temple. The enclosure of the Gayatri temple for the building of the Court, Municipal Council Office, Rajghat Colony, taking the Registrar office via Dhubia Talav Adivasi mohalla till Araji no. 01.

West- Starting from Adivasi mohalla Araji Number 01. Taking the house of Dr. Hemant Akhilesh Rawat from BSNL After moving petrol pump from the Singhai shop behind Tower Kabristan Road, Bus Stand, proceed towards North direction upto Araji no. 315 till Morden Public School .

Schedule -2

The proposal of the villages to be included in the Municipal Council Khaniyadhana is as follows-

Tehsil/ District	name of Gram Panchayat	name of village (included villages)	Declared Area (h)	Clever border	Patwari Halka No
Khaniyadhana Shivpuri	pothyai	1. pothyai &Basai	145.17	complete	27
Khaniyadhana Shivpuri	Panihara	2.jalampur(Ramnagar,Shivnagar)	262.34	complete	19
Khaniyadhana Shivpuri	mudiya	3. khiriya	170.63	complete	26

Schedule -3

Limits of Schedule No. 2, Amended limits of City Council Khaniyandhana on inclusion in Municipal Council Khaniyadhana-

North- Taking the entire population of Krashi Upaj Mandi of the Pichore Tiraha Piyau taking the spontaneity of thc entire ponthaiya village, from the house of Dan Littoria, from the Rapta upwards, from the Anganwadi building towards the gaushala, taking the house of Ramsevak Prajapati, Avadi and Gaushala to Modern School.

North- Starting From Pichore Tiraha Piyau, taking the all the sides of the entire village of Pothyai , taking the fire from all the sides of the entire village of Potiyar, from the Anganwadi building towards the gaushala towards the gaushala from the front of the house of Dan Litouria and taking the entire house of Majra Basai and By Gaushala Modern School

East- Light from Gaushala Modern School, being the house of Prajapati, Kavrasta is new to BSNL. From the tower, through Dhuvia talav, Sitapatha temple backwards to Malkhani temple village Jalampur

South- From Malkhani Temple Village Jalampur to Panihara Tiraha to Aengachad Mata Mandir Pulia from Ramnagar and Shivnagar Village

West- Taking the neem oil from Ramnagar and Shivnagar villages to the entire natural Kudrahat river of Khiria village and the petrol peep through the Kudrahat river, from the Marvagicha temple, the fire from Chetnavag will come from the house of Lachhu Koli and all the giants of Vidut Mandal take the village Pothiair temple and temple Pichor Tiraha Pyiu.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANUGRAHA. P, Collector.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.